

अध्याय IV

नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

4.1 प्रस्तावना

हमने निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों की जाँच की जो सेवा कर की गणना तथा भुगतान का आधार बनाते हैं तथा कर भुगतान के साथ-साथ ब्याज तथा सैनवेट क्रेडिट तथा छूटों का लाभ उठाने की सटीकता की जाँच की। हमने ₹ 138.22 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले सेवाकर के गैर/ कम भुगतान, सैनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना तथा उपयोग तथा ब्याज के गैर-भुगतान के 62 मामले देखे। इनमें से, 69 मामले, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा वसूली की गई/ वसूली की प्रक्रिया आरंभ की गई है, परिशिष्ट II में उल्लिखित हैं तथा सात मामले तीन मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत निम्नलिखित पैराग्राफ में वर्णित हैं:

ये सात अभ्युक्तियां तीन मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित हैं:

- सेवा कर का भुगतान न करना
- सैनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/ उपयोग
- ब्याज का भुगतान न करना

4.2 सेवा कर का गैर-भुगतान

4.2.1 सेवा के प्रावधान के स्थान के नियमों का गलत उपयोग

सेवाकर नियमावली 1994 का नियम 6ए (1)(डी) परिकल्पित करता है कि यदि सेवा के प्रावधान का स्थान भारत से बाहर है, तब किसी सेवा का प्रावधान करना या प्रदान करने की सहमति को सेवा का निर्यात माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीबीईएस दिशानिर्देश नोट्स की प्रश्न संख्या 5.2.4 स्पष्ट करती है कि एक सेवा प्राप्तकर्ता के मामले में स्थान निर्धारण में सुसंगत स्थल वह स्थल है जहाँ सेवा “प्रयोग” या “उपयोग” की गई है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अन्तर्गत सेवा कर में भुगतान की देरी के लिए ब्याज देय है।

हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में मै. एलेक्जेंडरिया इक्विटीज मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जो 'प्रबंधन या कारबार सलाह सेवा' प्रदान करने में शामिल है, ने मै. एआरई-मॉरिशस नं. 1 लिमिटेड, मॉरिशिस (लाभार्थी कंपनी) को उपयुक्त सेवा प्रदान करने का करार किया था। अन्य बातों के साथ करार के नियम एवं शर्तों में शामिल था कि करार में निर्धारित सेवाएं लाभार्थी कंपनी द्वारा भारत से बाहर प्रयोग की जाएगी तथा अधिग्रहण, प्रबंधन तथा पोर्टफोलियो निवेशों के प्रबंध सहित, भारत में निवेश से संबंधित सभी निर्णय केवल लाभार्थी कंपनी द्वारा किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि निर्धारिती ने लाभार्थी कंपनी को उपर्युक्त सेवाएं प्रदान की तथा यह कहते हुए सेवा कर देयता को पूरा नहीं किया कि सेवाएं भारत से बाहर निर्यात की गई थी। तथापि, प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर, लाभार्थी कंपनी ने कर योग्य क्षेत्र अर्थात् भारत में निवेश किया था जिसे सेवा का निर्यात नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेवाओं का प्रयोग या उपभोग केवल भारत में किया गया था। अतः निर्धारिती 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 1.01 करोड़ के सेवाकर के भुगतान के लिए दायी था जो ब्याज सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था।

जब हमने यह बताया (जुलाई 2015), विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2016) तथा कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति में उठाई गई संपूर्ण राशि को कवर करने वाला एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (अक्टूबर 2015)।

4.2.2 घोषित सेवाओं के संबंध में प्रावधानों का अननुपालन

1 जुलाई 2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65बी (44) तथा धारा 66ई (ई) के प्रावधानों के अनुसार, "घोषित सेवाओं" तथा "एक कार्य से अलग रहने की बाध्यता को स्वीकार करना, या एक कार्य या स्थिति को होने देना, या एक कार्य करना" सहित सेवाओं को "घोषित सेवा" के रूप में समझा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 20 जून 2012 को सीबीईसी द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक दिशानिर्देश के पैराग्राफ 2.3.2 की क्रम संख्या (1) देखें, यह स्पष्ट किया गया

था कि विवाद के समाधान में प्राप्त राशि प्रतिफल का भाग होगी यदि विवाद सेवा से संबंधित प्रतिफल के बारे में है।

वडोदरा-1 कमिश्नरी में मै. ज्योति लिमिटेड, वडोदरा ने मै. आरएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हुबली तथा कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड परियोजना के लिए तीन अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम करार (जेवीए) किया, जिसके अन्तर्गत परियोजना के इक्ट्रोमकेनिकल कार्य से संबंधित डिजाईन, ड्राइंग, विनिर्माण इत्यादि के लिए मै. ज्योति लिमिटेड उत्तरदायी था। परियोजना से संबंधित कानूनी विवाद के समाधान (अप्रैल 2011) के भाग के रूप में मै. ज्योति लिमिटेड को ₹ 18 करोड़ चुकाए जाने थे तथा जेवीए के अन्तर्गत मै. ज्योति लिमिटेड के कार्य का भाग एक तीसरी पार्टी को निर्धारित किया गया था। उपर्युक्त समाधान के अन्तर्गत, निर्धारिती ने लेखापरीक्षा की तिथि तक जुलाई 2012 के दौरान ₹ 7.99 करोड़ प्राप्त किए थे, जिस पर ₹ 99.48 लाख का सेवाकर उक्त प्रावधानों के अनुसार उद्ग्रहणीय था। परन्तु लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कोई सेवाकर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने यह बताया (जुलाई 2015), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा कि ₹ 1.17 करोड़ की राशि की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (अक्टूबर 2016)।

4.2.3 प्रति प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवाकर न देना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए (1) के अनुसार जहाँ अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) में निर्दिष्ट कोई सेवा प्रदान की जाती है या एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की जानी है जिसने एक कारबार स्थापित किया है या कार्यालय निश्चित किया है जिससे सेवा भारत के अतिरिक्त अन्य देश में प्रदान की जाती है तथा भारत में एक व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) द्वारा प्राप्त की जाती है, तब ऐसे मामलों में ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता सेवाकर प्रदान करने के लिए दायी है।

कोचीन कमिश्नरी में कालामासरी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज की लेखापरीक्षा के दौरान मै. ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के एसटी-3 रिटर्न

तथा संबंधित रिकार्ड विस्तृत संवीक्षा के अधीन थे। यह देखा गया था कि निर्धारिती ने कंटेनर किराया प्रभार विदेशी पट्टादाता को चुकाए परंतु सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में सेवा कर नहीं चुकाया था। यद्यपि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान छः विदेश सेवा प्रदाता से कंटेनर किराए पर लिए थे, केवल मै. ब्लू स्काई इंटरमोडल (यूके) लिमिटेड को किए गए भुगतान के विवरण उपलब्ध थे। ₹ 1.75 करोड़ की राशि इस विदेश सेवा प्रदाता को चुकाई गई थी जिस पर ₹ 21.66 लाख का सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (फरवरी 2014), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा कि ₹ 5.75 करोड़ की राशि की माँग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस विव13 से विव15 के दौरान सभी विदेश सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतानों के संबंध में जारी किया गया था।

4.2.4 कर योग्य सेवा का अवमूल्यन

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 निर्धारित करता है कि जहाँ सेवाकर इसके मूल्य के संदर्भ में किसी कर योग्य सेवा पर प्रभार योग्य है, तब ऐसा मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि होगी जो एक मामले में, जहाँ सेवा का प्रावधान धन में प्रतिफल के लिए है, ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए है।

बैंगलोर एसटी-॥ कमिश्नरी में मै. ऑरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मै. एनआईआईटी लिमिटेड बैंगलोर के साथ ऑरेकल पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए मै. एनआईआईटी लिमिटेड के माध्यम से जून 2011 से प्रभावी कार्यबल विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूडीपी) करार किया तथा डब्ल्यूडीपी करार के अन्तर्गत कवर किए गए एनआईआईटी केन्द्रों की संख्या के आधार पर वार्षिक सदस्यता शुल्क संग्रहित किया था। निर्धारिती ने डब्ल्यूडीपी करार के साथ एक परिशिष्ट हस्ताक्षरित किया जिसके द्वारा पाठ्य सामग्री के मुद्रण अधिकार प्रति विद्यार्थी प्रति पाठ्यक्रम के प्रतिफल के लिए डब्ल्यूडीपी के भाग के रूप में एनआईआईटी को हस्तांतरित कर दिया था। चूंकि पाठ्य सामग्री के मुद्रण अधिकार मै. एनआईआईटी को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्रदान किए गए थे तथा यह कि परिशिष्ट डब्ल्यूडीपी करार का भाग था, पाठ्य सामग्री के

मुद्रण अधिकारों के लिए प्राप्त प्रतिफल को पाठ्यक्रम शुल्क के भाग के रूप में माना जाना था।

निर्धारिती से संबंधित सेवाकर रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि वाणिज्यिक प्रशिक्षण या प्रशिक्षण सेवाओं के अंतर्गत मै. एनआईआईटी से संग्रहित सदस्यता शुल्क पर सेवाकर का भुगतान करते समय, निर्धारिती ने निर्धारण योग्य मूल्य में पाठ्य सामग्री के मुद्रण अधिकार के प्रति प्राप्त प्रतिफल को शामिल नहीं किया था, जिसके कारण विव12 से विव15 की अवधि के लिए ₹ 1.63 करोड़ के सेवाकर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने यह बताया (जुलाई 2013), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा कि निर्धारिती को ₹ 2.01 करोड़ के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी (मार्च 2016) किया गया था।

4.3 सैनवेट क्रेडिट की उपयोगिता/गलत प्राप्ति

4.3.1 छूट प्राप्त सेवाओं पर सैनवेट क्रेडिट वापस न करना

सैनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6 कहता है कि सैनवेट क्रेडिट छूटप्राप्त सेवाओं के प्रावधान के संबंध में या में प्रयोग की गई ऐसी इनपुट या इनपुट सेवाओं की मात्रा पर अनुमत नहीं होगा।

1 जुलाई 2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65बी (44) के प्रावधानों के अनुसार, “सेवा” में “घोषित सेवाएं” शामिल है तथा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ई के अनुसार घोषित सेवाओं में एक परिसर, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्रेता को बेचने के उद्देश्य से एक परिसर या भवन सहित, भवन, सिविल संरचना या उसके भाग का निर्माण शामिल है, सिवाएँ जहाँ संपूर्ण प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी करने के बाद प्राप्त किया गया है।

वडोदरा-1 कमिश्नरी में, मै. नेप्यून रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने “एवलॉन्स ग्रीनवुड्स” परियोजना आरंभ की (मई 2011), 23 मार्च 2015 को सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्तर्गत निर्मित कुल 54 इकाईयों में से, 19 इकाईयां या तो 23 मार्च 2015 तक बेचनी शेष रही या पूर्णता प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद बुक की गई

थी। चूंकि पूर्णता प्रमाणपत्र 23 मार्च 2015 को जारी किया गया था, निर्धारिती को इन 19 फ्लैटों के निर्माण में प्रयुक्त माने गए इनपुट सेवाओं के भाग के संबंध में सैनवेट क्रेडिट वापस करना अपेक्षित था, जो ₹ 18.10 लाख⁴⁷ था।

जब हमने यह दर्शाया (अगस्त 2015), कमिश्नरी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि निर्धारिती ने ₹ 0.16 लाख के ब्याज के साथ ₹ 18.10 लाख का क्रेडिट वापस कर दिया था (अगस्त 2015)।

4.4 ब्याज का गैर-भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 प्रावधानों के साथ पठित सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 6 अनुसार, निर्धारिती को सेवाकर मासिक आधार पर निर्धारित दर पर कैलेंडर माह जिसमें सेवा प्रदान की गई मानी गई है, के बाद के माह की 5/6 तक चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त, मार्च के महीने में प्रदत्त मानी गई सेवा पर सेवाकर कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च तक चुकाएगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय IV की धारा 75 बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कर या उसका कोई भाग निर्धारित अवधि के अंदर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने में विफल होता है, ऐसी दर पर साधारण ब्याज चुकाएगा जो केन्द्र सरकार द्वारा उस समय के लिए निश्चित की गई है। कराधान नियमावली, 2011 के बिन्दु के नियम 3 के अनुसार जहाँ बीजक सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 4ए में निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर नहीं जारी किया गया है, कराधान का बिन्दु सेवा की पूर्णता की तिथि होगी।

4.4.1 कराधान नियमों के बिन्दु के गलत प्रयोग के कारण देयता

एसटी-VII मुम्बई कमिश्नरी में मै. ई-नेक्स्ट फाईनेंसियल लिमिटेड वित्तीय कम्पनियों को वसूली एजेंट के रूप में सेवाएं प्रदान करने में शामिल है। रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2015 में प्रदत्त सेवाओं के लिए,

⁴⁷ ₹ 44.70 करोड़ की परियोजना के कुल मूल्य के प्रति इन 19 फ्लैटों के लिए ₹ 15.88 करोड़ (अर्थात् 35.53 प्रतिशत) पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए थे। इन परियोजना पर लिया गया कुल इनपुट सेवा क्रेडिट ₹ 50.95 लाख था तथा इसकी छूट प्राप्त सेवा से संबंधित आनुपातिक राशि (35.53 प्रतिशत) ₹ 18.10 लाख थी।

निर्धारिती ने कर योग्य सेवाओं की पूर्णता की तिथि से बीजक/बिल या ऐसी कर योग्य सेवा के मूल्य के प्रति भुगतानों की प्राप्ति नहीं की थी। लेखाबही में, निर्धारिती ने ₹ 20.90 करोड़ की राशि को अनबिल्ड राजस्व के रूप में दिखाया था जिसे अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 के अनुवर्ती माह में समायोजित कर दिया या बीजक सृजित किए तथा सेवाकर बीजक की तिथि से चुकाया गया था। सेवाकर मार्च 2015 तक प्रदत्त सेवाओं के लिए 31 मार्च 2015 तक चुकाना चाहिए था। तथापि, निर्धारिती उपरोक्त कराधान नियमों के बिन्दु के अनुसार सेवाकर देयता का भुगतान करने में विफल था, जिसके यह ₹ 54.13 लाख की राशि के ब्याज के भुगतान के लिए दायी था।

जब हमने यह दर्शाया (अक्टूबर 2015), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकृत किया (नवम्बर 2016) तथा कहा कि एससीएन तैयार किया जा रहा था तथा जारी करने के लिए संसाधित किया जा रहा था क्योंकि कुछ सूचना निर्धारिती से अपेक्षित थी।

4.4.2 सेवाकर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

चेन्नई एसटी-1 कमिश्नरी में मै. एबीसी टेक्नो लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी 2013 से अक्टूबर 2013 से विलंबित सेवाकर चुकाया था, परन्तु उस पर देय ब्याज नहीं चुकाया था, जो ₹ 19.38 लाख था।

जब हमने यह दर्शाया (अक्टूबर 2015), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा कि एससीएन जारी किया जा रहा था।